प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 30-09-2025

विषयः- ''उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024''के अन्तर्गत मेसर्स वामासुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकण्डक्टर परियोजना की स्थापना हेतु निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट संशोधित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मेसर्स वामासुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रथम चरण, सेक्टर 10, जेवर, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र, गौतमबुद्ध नगर में Compound Semiconductors/Silicon Photonics/Sensors Fab/Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) के निर्माण के लिए इकाई की स्थापना हेतु लगभग रु0 3,706.12 करोड़ का निवेश प्रस्तावित करते हुए उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग की गई थी।

2. मेसर्स वामासुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड के निवेश प्रस्ताव पर निवेशक को ''उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024'' के अन्तर्गत व उसके अतिरिक्त निम्नवत तालिका के अनुसार प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश संख्याः-41/2024/1787/78-1-2024-138/2024 दिनांक 07 नवम्बर 2024 निर्गत किया गया है:-

Sr. No	Seeking Incentives under Policy Clause No.	Incentive Details	Admissible Incentives (INR Cr.)
1.	Capital Subsidy (6.1.1)	Capital Subsidy: This benefit will be disbursed in accordance with the benefits provided by the Government of India on a Pari-Passu mode.	919.31 (60% ofCapital Subsidy approved by GoI)
2.	Land Rebate (6.1.3)	75% subsidy for first 200 acres from state agencies.	124.37 (On Actuals as per Policy)
3.	Stamp Duty and Registration fees (6.1.4)	100% exemption on purchase/lease of land	1.16 (On Actuals as per Policy)
4.	Electricity Duty (6.1.5)	100% exemption on electricity duty for a period of 10 years	6.03 (On Actuals as per Policy)
5.	Dual power grid Network (6.1.6)	Dual Power Grid network shall be provided to the FAB units established in the state. The cost of one grid (lower of the two) shall be reimbursed by the state government while the cost of the other grid shall be borne by the investor.	9.60 (On Actuals as per Policy)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6.	Transmission and wheeling charges (6.1.7)	Exemption of 50% on wheeling charges/ transmission charges on Intrastate purchase of power shall be provided for the period of 25 years from Commencement of Project.	4.76 (On Actuals as per Policy)
7.	Support for Skilling and Training (6.1.8)	• Faculty training / technical workshops / awareness programs / expert lectures up to INR 60 Lakhs per year for 5 years; total of INR 3.0 Crores • Internship support for B.Tech & M.Tech Graduates up to 500 Students per year for 5 Years; INR 20K support per student under CM internship programme. • One time support for hire talent will be provided for a period of 12 months subject to a limit of INR 1 Cr. per unit.	4.50 (On Actuals as per Policy)
8.	Patent Registration Fees (6.1.11)	75% maximum of Rs 10 lakh for domestic and maximum Rs 20 lakh for international.	(On Actuals as per Policy)
9.	Industrial Housing (6.1.12)	10 percent of the cost of development of workers housing/dormitory and related collective facility within a radius of 10 km of the premises of the unit or ₹10 crore, whichever is lower	(On Actuals as per Policy)
10.	Center of Excellence (6.1.10)	50% of the total Center of Excellence (CoEs) project cost (subject to a maximum of 10 Cr. to establish CoEs in collaboration with reputed academic institutions and/ or industry associations/ industry or any other Govt./ Private entity)	1.68 (On Actuals as per Policy) Investor needs to do separate application
Additional Incentives approved to the Investor			
11.	Interest subsidy	5% per annum for Loan taken from Scheduled commercial banks for effective loan period.	79.47 (On actuals)
12.	Additional Requests from the Investor	Employee Linked Incentive covering reimbursement of INR 5000 per employee per month for 10 years from the date of commercial production	43.21 (On actuals)
13.		Exemption from payment of state-level and local body-level applicable taxes/duties including but not limited to Property Tax etc. for a period of 10 years from the date of commercial production.	As per applicable Act/policy
14.		Reimbursement of 100% of net SGST paid for 10 years from the date of commercial production.	86.67 (On actuals)
15.		Water subsidy of INR 45 per KL of consumption for 10 years from the date of commercial production	11.72 (On actuals)
16.		Power subsidy of INR 2 per unit of consumption for 10 years from the date of commercial production	45.49 (On actuals)
17.		Incentives for semiconductor input / raw material projects units within the value chain cluster	On Actuals
18.		100% reimbursement of the total EPF amount paid for ESDM sector professionals of Uttar Pradesh domicile with employment continuous for 1 year	5.63 (On actuals)

3. आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त शासनादेश के अनुक्रम में ''उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024'' के क्रियान्वयन हेतु नामित नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट संख्याः यूपीएलसीःसेमीकण्डक्टर पॉलिसीः2024-25 (VS), दिनांक 19 नवम्बर 2024प्रदान किया गया है।

4. कम्पनी द्वारा डिस्पले ड्राइवर इन्टीग्रेटेड सर्किट ('डीडीआईसी') के लिए आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली एण्ड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा हेतु सेक्टर 10, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से दिनांक 24-5-2024 को ''लेटर ऑफ इन्टेन्ट'' प्राप्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रस्तावित परियोजना स्थल की लगभग 50 एकड़ भूमि के अनुमानित मूल्य रु 165.82 करोड़ के सापेक्ष, नीति के प्रस्तर-6.1.3 में लैण्ड रिबेट के संबंध में निहित व्यवस्था के क्रम में अनुमानित रू0 124.37 करोड़ (नीति के अनुसार वास्तविक आधार पर) तथा नीति के प्रस्तर-6.1.4 में निहित प्राविधान के अनुरूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निवेशक को भूमि की खरीद/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क और निबन्धन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट (अनुमानित राशि रु 1.16 करोड़), वास्तविक आधार पर, अनुमन्य की गई है।

5. प्रकारान्तर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना हेतु चिन्हित सेक्टर 10, की भूमि परिवर्तित कर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा निवेशक को सेक्टर-28 में लगभग 48 एकड़ भूमि प्रस्तावित किया गया है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा उपर्युक्त विषयगत भूमि स्थल परिवर्तन किये जाने पर अतिरिक्त व्यय-भार आगणित किया गया जो निम्न्वत है:-

तालिका-1

(धनराशि रुपयों में)

क्र0 सं0	विवरण	सेक्टर-10 के लिए पूर्व मेंअनुमानित भूमि (50 एकड़) लागत	सेक्टर-28 के लिए संशोधित भूमि (48 एकड़) अनुमानित लागत	अतिरिक्त व्यय भार (4-3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भूमि का प्रीमियम	1658200000.00	1945317950.00	287117950.00
2.	लोकेशनल प्रीमियम	0.00	194531795.00	194531795.00
3.	वन टाइम लीज रेन्ट	0.00	588458680.00	588458680.00
4.	स्टाम्प ड्यूटीएवं निबंधन शुल्क	11620000.00	190981590.00	179361590.00
	योग	1669820000.00	2919290015.00	**1249470015.00**

6. उक्त के दृष्टिग्त निवेशक द्वारा अपने प्रत्यावेदन पत्र दिनांक 03-06-2025में यह बिन्दु रखा गया है कि उक्त परियोजना की स्वीकृति निर्गत करने में जो व्यय-भार भूमि मद में जो धनराशि वहन किये जाने के विषयगत निवेशक से अपेक्षा की गयी थी, उसमें वर्तमान में भू-स्थल परिवर्तन होने के कारण अतिरिक्त व्यय-भार (यथा भूमि प्रीमियम, लोकेशनल प्रीमियम, वन टाइम लीज रेंट तथा स्टाम्प ड्यूटी) के रूप में वृद्धि को वहन किया जाना निवेशक के लिए व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है और उक्त परियोजना स्थल परिवर्तन के कारण आगणित अतिरिक्त व्यय-भार में राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाय, जिससे परियोजना क्रियान्वित हो सके।

7. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स वामासुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना के लिए सेक्टर 10, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के स्थान पर अब सेक्टर 28, जेवर, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) गौतमबुद्ध नगर में भूमि आवंटन होने के कारण उपरोक्त परियोजना में पूर्व में अनुमानित भूमि की लागत के मद में हुई वृद्धि एवं परियोजना की महत्ता के दृष्टिगत उपर्युक्त प्रस्तर-5 की तालिका-1 में वर्णित अनुमानित अतिरिक्त व्यय-भार (भूमि का प्रीमियम दर बढ़ने के कारण), तथा उक्त के अतिरिक्त इस परियोजना भूखण्ड के विषय में लोकेशनल प्रीमियम एवं वन-टाइम लीज रेन्ट के मद में वांछित धनराशि सहित भूमि के विषय में उक्त तीनों मदों (परियोजना भूखंड परिवर्तन के कारण सेक्टर 28 में आवंटित भूमि में भू आवंटन की दर में हुई वृद्धि, लोकेशन चार्ज, एकमुश्त लीज रेंट धनराशि सहित) के अंतर्गत बढ़े हुए वास्तविक व्यय-भार पर 75 प्रतिशत छूट निवेशक को प्रदान किए जाने तथा उक्त अतिरिक्त छूट के फलस्वरूप यीडा को कोई प्रतिपूर्ति राज्य सरकार/विभाग से न किये जाने, स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में सम्भावित वृद्धि को शत प्रतिशत माफ किये जाने एवं तद्नुसार शासनादेश संख्याः-41/2024-1787/78-1-2024-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

138/2024 दिनांक 07 नवम्बर 2024 एवं नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निवेशक को निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट संख्याः यूपीएलसीः सेमीकण्डक्टर पॉलिसीः2024-25 (VS), दिनांक 19 नवम्बर 2024 को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना की विशिष्टता एवं व्यापक महत्ता के दृष्टिगत उक्त निर्णय सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं अनुमोदन के अधीन अपवाद स्वरुप है जिसे भविष्य में किसी अन्य प्रकरण हेतु दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

8. अतः शासनादेश संख्याः-41/2024-1787/78-1-2024-138/2024, दिनांक 07 नवम्बर 2024 को उक्तानुसार संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 07 नवम्बर, 2024 के अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

कृपया उक्त के क्रम में प्रकरण में नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

संख्या- 31/2025/1303/78-1-2025 एवं तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3 प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।
7 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
12 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
13 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
14 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
15 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
15 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
16 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
17 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
18 अपर निदेशक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।
19 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
20 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।